रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 14 जुलाई, 1984/23 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 1984

संख्या : जी०ए०डी०(ए)एफ(4)24/80.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम नियम, 1984 है ।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 8) अभिप्रेत है ;

1274-राजपत्र/84-14-7-84—1,125. (1099) मूल्य : 20 पैसे।

(ख) "कलैक्टर" से सरकार द्वारा इस निमित सशक्त, जिले का कलैक्टर अभिप्रेत है ;

(ग) "व्यतिक्रमी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऋण की रकम का जब वह शोध्य हो, प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है और इसके अन्तर्गत यह व्यक्ति भी है जो ऐसी राशि के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभू के रूप में उत्तरदायी है ;

(घ) "विल्लंगम" से संबिदा से उद्भूत जंगम और स्थावर सम्पत्ति पर प्रभार या उसके विरुद्ध कोई दावा अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम और मूल एवं अनुपूरक नियमों में उनके हैं।

अध्याय—1

3. अधिनियम की धारा 15(2) में उल्लिखित कृत्यों के अतिरिक्त निगम के अन्य कृत्य.—निगम निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन भी कर सकेगी:—

(1) पुनरवन-रोपण, भूमि का ठीक करना, इमारती लकड़ी/बिरोजा का निकालना, नर्सरी उगाना, पैक करने वाले डिब्बों का विनिमय और कोई अन्य क्रिया कलाप, जो सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए ;

(2) सरकार द्वारा आबंटित मार्गों पर यात्रियों और/या माल के परिवहन का प्रचालन;

(3) उद्यान कृषि को बढ़ावा देना जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण और विपणन है ;

(4) राज्य के बाहर या भीतर विभिन्न पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के साथ पारस्परिक रूप से करार पाए गए, बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित, निबन्धनों और शर्तों पर सी० एस० डी० (I) कैन्टीनों और खुदरा दुकानों पर संचालन ; और

(5) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें निगम, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय—2

4. वसूली.—(1) बकाया देय को वसूल करने की प्रक्रिया:

(क) किस्तों की कालिकता और संख्या :—

(1) ऋणी द्वारा ऋण का प्रतिसंदाय ऐसे निबन्धनों पर किया जायेगा जो करार में नियत किए जाएं।
(2) ऋण के मूल्यांकन की किस्तें नियत तारीख को या उससे पूर्व, संदाय की तारीख तक देय ब्याज सहित, संदत्त की जायेंगी ।

(3) ऋणी को, प्रतिसंदाय की तारीख से पूर्व किसी समय या करार पाई गई किस्तों की संख्या से कम संख्या में, ऋण का प्रतिसंदाय करने का विकल्प होगा । ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना तदानुसार की जायेगी ।

(ख) मांग नोटिस.—जहां निबन्धों और शर्तों पर जिनके अन्तर्गत कालिकता और किस्तों की संख्या भी है, करार मूल बन्ध पत्र या अन्य वचन बन्ध पहले ही करार पाया गया है वहां ऋणी, मांग नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना, ठीक समय पर करेगा । फिर भी निगम, शिष्टाचार के नाते संदाय की सम्यक तारीख से कुछ दिन पूर्व स्मरण नोटिस जारी करके, ऋणी को स्मरण करा सकेगी।

(ग) सम्यक तारीख पर ऋण की किस्तों की अंसदाय.—यदि ऋण की किस्त, और उस पर देय ब्याज का संदाय नियत तारीख तक प्राप्त नहीं होता है तो ऋणी को एक रजिस्ट्रीकृत नोटिस दी जाएगी जिसमें, ऐसी नोटिस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, अन्तिम व्याज सहित, संदाय करने म शीघ्रता करने के लिए कहा जाएगा ।

(घ) संदाय के लिए वसूली की कार्यवाहियां.—यदि ऋणी मूल ऋण की किस्तों और ब्याज का, जिसके अन्तर्गत शास्तिक ब्याज भी है, ऐसी रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिए जाने पर भी, ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित पते पर ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख तक संदाय करने में असफल रहता है तो सम्पूर्ण रकम को सम्बन्धित जिले के कलैक्टर के माध्यम से, राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने के लिए निगम द्वारा अधिनियम की धारा 20, 21 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की जाएगी। रकम देय ब्याज शास्तिक ब्याज की रकम और वसूली की लागत, सम्बन्धित जिला के कलैक्टर द्वारा राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और निगम को विप्रेषित की जाएगी।

(2) निगम को देय रकम को अवधारित करन की प्रक्रिया :

(क) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को, व्यतिक्रमी की विशिष्टियों देय राशि (मूल रकम, उस पर ब्याज और शास्तिक ब्याज) का विवरण देने के प्रयोजन के लिए आवेदन कर सकेगी।

(ख) आवेदन की प्राप्ति पर, उक्त अधिकारी, निगम को देय रकम का अवधारण व्यतिक्रमी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् करेगा या करवाएगा।

(ग) उक्त अधिकारी द्वारा किया आदेश लिखित रूप में होगा और उसे निगम संप्रेशित किया जाएगा ।

(घ) नियम 4 (2) (ग) के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा ।

(ङ) नियम 4 (2) (ग) के अन्तर्गत किये गये आदेश की प्राप्ति पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन नियमों से संलग्न प्ररूप "क" में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा और मामले की फाइल को, रकम को अधिनियम की धारा 20 (1) के अनुसार राजस्व बकाया के रूप म वसूली करने के लिए सम्बन्धित जिलों के कलैक्टर को भेजेगा।

अध्याय—3

5. प्ररूप और रीति जिसमें लेखा रखा जाएगा, और तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार किया जाएगा.—निगम ऐसी रीति से लेखा तैयार करेगी और रखेगा जैसी इन नियमों से संलग्न उपबन्ध "ख", "ग" और "घ" में विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय—4

6. ऋण, सहायकी और अनुदान.—(1) ब्याज की दर :

निगम द्वारा दिए गये ऋण पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर निम्नलिखित होगी :

(क) रु0 3,000/– तक के ऋण पर	2 प्रतिशत
(ख) रु0 3,000/– से रु0 10,000/– तक	4.5 प्रतिशत
(ग) रु0 10,000/– से रु0 15,000/– तक	6 प्रतिशत
(घ) रु0 15,000/– से रु0 30,000/– तक	7.5 प्रतिशत
(ङ) रु0 30,000/– से ऊपर	10 प्रतिशत :

परन्तु 2 प्रतिशत ब्याज की दर ऐसे ऋणी को लागू होगी जिस की वार्षिक आय 3,600 रुपए तक है। 4.5 प्रतिशत ब्याज की दर ऐसे ऋणी को लागू होगी जिस की वार्षिक आय 5,600 रुपये तक है । 6 प्रतिशत ब्याज की दर ऐसे ऋणी को लागू होगी जिसकी वार्षिक आय 7,600 रुपये तक है, और 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ब्याज की दर अन्य मामलों में लागू होगी :

परन्तु प्रभार्य ब्याज की दर, हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1968, (1971 का अधिनियम संख्यांक 2) के अधीन दिए गए ऋण पर प्रभार्य ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी । यदि यह दर उक्त उल्लिखित दरों से कम हो तो ब्याज सरकार के विवेकानुसार, कम दर पर भी भविष्य लक्षी प्रभाव से प्रभार्य होगा। निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर, ब्याज में फेरफार किया जा सकेगा।

(2) ब्याज की दर पर सहायकी :

ऐसे मामले में जहां ऋण, बैंक से या निगम से भिन्न किसी अन्य संस्था से लिया गया है, निगम ब्याज की दर को उक्त नियम (1) में उल्लिखित दरों में बराबर लाने के लिये उस पर सहायता प्रदान कर सकेगा।

(3) ब्याज की दर पर सहायकी का दावा करने की प्रक्रिया :—

(क) आवेदक इन नियमों से उपबन्ध "ङ" के रूप में संलग्न प्ररूप में बैंक को आवेदन करेगा।
(ख) बैंक, ब्याज की वास्तविक दर और ब्याज की सहायता प्राप्त दर से बीच प्रतिपूर्ति दावा, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम को अधिकार में दे देगा जो तदनुसार उनका भुगतान करेगी ।

(4) ब्याज सहायकी प्रदान करने की शर्तें:

(क) ब्याज सहायकी उक्त नियम 6(1) में उल्लिखित ब्याज की अधिकतम दर के अतिरिक्त, अधिकतम 2½ प्रतिशत तक प्रदान की जाएगी ।
(ख) ब्याज सहायकी, कार्य चालन पूंजी पर नहीं दी जाएगी।
(ग) ब्याज सहायकी निगम द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी।
(घ) ब्याज सहायकी, स्कीम/परियोजना के लिए अपेक्षित कुल रकम के 75 प्रतिशत के लिए प्रदान की जाएगी।

(5) ब्याज सहायकी के विधारित करने और बन्द करने की शर्तें:

निगम, बैंक या अपने स्वयं के स्रोतों के माध्यम से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि :—

(क) ऋणी व्यतिक्रमी है, या
(ख) ऋणी के करार के किसी भी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया है,
ब्याज सहायकी को विधारित करेगा/बन्द करेगा :—

(6) प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां :

ऋणी उपाध्यक्ष और/या सचिव एवं मुख्य लेखा अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को लेखा वट्टियों, परियोजना/स्कीम के परिसर, गोदाम और उस स्थान के, जहां पर ऋणी का दिन प्रतिदिन का कार्य चल रहा है, निरीक्षण के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

आदेश से,
के0 सी0 पाण्डेय,
मुख्य सचिव ।

उपबन्ध "क" प्ररूप "क"

अध्याय–2 और नियम 4 (2) (ङ)

यतः. . . . . ऋणी (ऋणियों) जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है और हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है के बीच, उसके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से एक करार तारीख . . . . . को हमीरपुर में किया गया था और तदनुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक ने प्रयोजन के लिए, प्रथम पक्षकार को. . . . . रुपये (केवल . . . . . रुपये) का अग्रिम, जैसा कि दिया था ।

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (वित्तीय सहायता) विनियम, 1981 में उपबन्धित है ।

प्रथम पक्षकार ने निगम को देय . . . . . रुपये (केवल . . . . . रुपये) की रकम का संदाय न करके व्यतिक्रम किया है या (अधिकारी का पद) . . . . . जिला . . . . . से आदेश सं0 . . . . . तारीख . . . . . द्वारा अवधारित किया है कि . . . . . रुपये (केवल . . . . . रुपये) की रकम निगम की देय है ।

और हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 20 (1) द्वारा मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उक्त रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए मैं मामले की फाईल कलैक्टर . . . . . जिला को भेजता हूं ।

तारीख . . . . . को हमीरपुर में, हस्ताक्षरित ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम,
हमीरपुर ।

उपबन्ध "ख"

नियम 5 के अन्तर्गत

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर

तुलन पत्र

जैसा कि 31 मार्च को है

पूर्ववर्ती वर्ष 1	दायित्व 2	रकम 3	जोड़ 4	पूर्ववर्ती वर्ष 1	आस्तियां 2	रकम 3	जोड़ 4
1. पूंजी				1. नियत आस्तियां:			
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत, संदन्त ।				खर्च पर जिसमें से संलग्न अनुसूची "क" के अनुसार मूल्यह्रास कटाएं ।			
				(क)			
2. आरक्षित और निधियां ।							
(I) भूतपूर्व सैनिक निधि ।				(ख)			
गत वर्ष के अनुसार अतिशेष ।							
जोड़ें: सरकार द्वारा अंशदान ।				2. विनिधान :			
जोड़ें, निगम द्वारा अंशदान				मूल्यांकन के ढंग और स्वरूप का स्पष्टीकरण देते हुए ।			
(II) डूबन्त ऋण निधि :				3. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम:—			
गत वर्ष के अनुसार अतिशेष				क. चालू आस्तियां :			
जोड़ें शुद्ध लाभ में 10 प्रतिशत अंशदान				(I) अन्याय ऋणी			
जोड़ें: राज्य सरकार द्वारा अंशदान				(क) कर्जदारों से देय			
जोड़ें: प्रतिशत दर के शुद्ध लाभ में से साढ़े सात का अंशदान ।				(I) माल के आडमान के विरुद्ध प्रतिभूत ।			
(III) लाभ				(II) भूमि और सम्पत्ति के बंधक के विरुद्ध प्रतिभूत ।			
गत तुलनपत्र के अनुसार				(ख) उस पर प्रोदभूत ब्याज			
(IV) विकास कटौती आरक्षित				(I) अन्य आस्तियां			
(V) अन्य आरक्षित				(क) अनिवार्य स्टाक ।			

3. प्रतिभूत ऋण :
(प्रतिभूति का स्वरूप और मूल्यांकन देते हुए) ।

4. अप्रतिभूत ऋण :

5. चालू दायित्व और उपबन्ध :
(क) चालू दायित्व
अन्यान्य लेनदार
संदेय व्यय
प्रतिभूति निक्षेप
कर्मचारी वृन्द से कटौतियां/अन्य दायित्व ।

(ख) उपबन्ध :
कराधान के लिए उपबन्ध/अन्य उपबन्ध

(ख) खुले औजार
(ग) व्यापार आदि में स्टाक
(ii) नकदी और बैंक अतिशेष :

(क) हाथ नकदी

(ख) बैंकों में अतिशेष और पोस्टल आर्डर आदि ।
(ग) हाथ के स्टाम्प ।

ख. ऋण और अग्रिम :
कर्मचारी वृन्द से नकदी या माल के रूप में वसूलीयां अग्रिम प्राप्य मूल्य
पूर्व संदत्त व्यय
अग्रिम दरें, कर आदि ।

4. प्रकीर्ण व्यय और हानियां ।
(क) पंजीकरण के लिए लम्बित व्यय
(ख) कोई अन्य मद ।
(ग) शुद्ध हानियां, यदि कोई हो ।

जोड़ रुपये ..		जोड़ रुपये ..	

टिप्पणी:—1. तुलनपत्र, लेखा अधिकारी, सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
2. निगम ऊपर दिए गए शीर्षों में, यथा स्थिति, सुविधा और कारबार के विस्तार की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर परिवर्धन करेगी ।

उपबन्ध "ग"

नियम 5 के अन्तर्गत

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा 31 मार्च को समाप्त होने वाले

पूर्ववर्ती वर्ष	व्यय	रकम	जोड़	पूर्ववर्ती वर्ष	आय	रकम	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
	निम्नलिखित के वेतन और भत्ते:						
	कर्मचारी वृन्द			प्राप्त ब्याज द्वारा			
	निदेशक			ऋणों और निक्षेपों पर			
	निम्नलिखित में अंशदान छुट्टी			प्रोद्भूत ब्याज द्वारा			
	संबलभ, पैन्शन ।			कृषि फार्म से आय द्वारा			
	मकान किराया			कृषि और औद्योगिक मशीनरी			
	कृषि फार्म			उपकरणों के			
	किराया, दरें और कर			अवक्रय द्वारा दान, अनुदान और संदाय द्वारा			
	पानी और बिजली			विविध आय द्वारा			
				"तुलन पत्र पर लाई गई शुद्ध हानि द्वारा			
	निम्नलिखित यात्रा और प्रवह्ण:						
	कर्मचारी वृन्द						
	निदेशक						
	संदत्त ब्याज						
	बैंक प्रभार						
	वाहनों का चालन और अनुरक्षण						
	विविध संचित में से खर्च						
	मुद्रण और लेखन						
	डाक-व्यय, दूरभाष और तार						
	समाचार पत्र और पत्रिकाएं						
	विज्ञापन						
	मनोरंजन व्यय						

कर्मचारी वृन्द कल्याण
अनुदान और साहयकी
विधिक व्यय
वट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां
विविध व्यय
आस्तियों के विक्रय पर हानि
लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक
अवसयण

निम्नलिखित के लिए उपबन्ध :

आय कर
डूबंत ऋण निधि
गारन्टी निधि
अनुतोष और सामूहिक हित निधि
तुलन पत्र पर लाया गया शुद्ध लाभ

उपबन्ध "घ"

(नियम 5 के अधीन)

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर, 31 मार्च को यथा विद्यमान नियत आस्तियों की अनुसूची "क"

क्रम सं0	उप-शीर्ष	को मूल लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय शुद्ध अन्तरण/बट्टे खाते में डाले हुए	तक का अवक्षयक	वर्ष के दौरान अवक्षय	कुल अवक्षय	गत वर्ष का उल्लिखित मूल्य ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भूमि							
2.	भवन							
3.	फरनीचर और फिक्सचर							

उपबन्ध "ग"

नियम 5 के अन्तर्गत

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा 31 मार्च को समाप्त होने वाले

पूर्ववर्ती वर्ष	व्यय	रकम	जोड़	पूर्ववर्ती वर्ष	आय	रकम	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
	निम्नलिखित के वेतन और भत्ते:						
	कर्मचारी वृन्द				प्राप्त ब्याज द्वारा		
	निदेशक				ऋणों और निक्षेपों पर		
	निम्नलिखित में अंशदान छुट्टी संबलभ, पैन्शन ।				प्रोद्भूत ब्याज द्वारा		
	मकान किराया				कृषि फार्म से आय द्वारा		
	कृषि फार्म				कृषि और औद्योगिक मशीनरी		
	किराया, दरें और कर				उपकरणों के		
	पानी और बिजली				अवक्रय द्वारा दान, अनुदान और संदाय द्वारा		
					विविध आय द्वारा		
					"तुलन पत्र पर लाई गई शुद्ध हानि द्वारा		
	निम्नलिखित यात्रा और प्रवह्ण:						
	कर्मचारी वृन्द						
	निदेशक						
	संदत्त ब्याज						
	बैंक प्रभार						
	वाहनों का चालन और अनुरक्षण						
	विविध संचित में से खर्च						
	मुद्रण और लेखन						
	डाक-व्यय, दूरभाष और तार						
	समाचार पत्र और पत्रिकाएं						
	विज्ञापन						
	मनोरंजन व्यय						

कर्मचारी वृन्द कल्याण
अनुदान और साहयकी
विधिक व्यय
वट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां
विविध व्यय
आस्तियों के विक्रय पर हानि
लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक
अवसयण

निम्नलिखित के लिए उपबन्ध :

आय कर
डूबंत ऋण निधि
गारन्टी निधि
अनुतोष और सामूहिक हित निधि
तुलन पत्र पर लाया गया शुद्ध लाभ

उपबन्ध "घ"

(नियम 5 के अधीन)

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर, 31 मार्च को यथा विद्यमान नियत आस्तियों की अनुसूची "क"

क्रम सं0	उप-शीर्ष	को मूल लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय शुद्ध अन्तरण/बट्टे खाते में डाले हुए	तक का अवक्षयक	वर्ष के दौरान अवक्षय	कुल अवक्षय	गत वर्ष का उल्लिखित मूल्य ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भूमि							
2.	भवन							
3.	फरनीचर और फिक्सचर							

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	कार्यालय उपस्कर						
5.	वाहन						
6.	पुस्तकालय की पुस्तकें						
7.	पम्प-सैट, डीजल, और इंजन व नल-कूप						
8.	ट्रैक्टर और उपकरण ।						
9.	अन्य						
	जोड़ पूर्ववर्ती वर्ष						

उपबन्ध "ङ"

नियम 6(3)

(बैंक के माध्यम से) ब्याज की दर पर सहायकी के लिए आवेदन-पत्र ।

1. इकाई का नाम और पता ।
2. बैंक का नाम, जिससे इकाई ने ऋण लिया है ।
3. पूंजी विनिधान :
   (क) भूमि
   (ख) भवन
   (ग) मशीनरी
4. वित्त प्रबन्ध के साधन :
   (क) अपना विनिधान
   (ख) वित्त संस्थाओं/सरकार से ऋण
   (ग) अन्य स्रोत
5. मंजूर ऋण की राशि
6. संवितरण की तारीख
7. प्रभार्य ब्याज की दर
8. संदत्त ब्याज की कुल रकम

प्रमाणित किया जाता है कि उपर लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें निर्मित कोई भी बात गुप्त नहीं रखी गई है ।

आवेदक के

बैंक/वित्त संस्था का प्रमाण पत्र

हम . . . . . (बैंक का नाम) . . . . . प्रमाणित करते हैं कि हमने मैसर्ज . . . . . का लेखा देखा है । और आवेदन द्वारा उपदर्शित अंकों को पुष्टि करते हैं। आवेदक ब्याज की दर पर सहायकी के रूप में . . . . . रुपयों का हकदार है . . . . . जिससे ब्याज की दर प्रतिवर्ष . . . . . तक लाई जा सके । यह और प्रनाणित किया जाता है कि उक्त संगणनाओं में कार्यकरण पूंजी को ध्यान में नहीं रखा गया है ।

[*Authoritative English text of Notification No. GAD (A)F* (4) 24/80 *dated* 11-6-1984 *is hereby published for the general information as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

In exercise of the powers conferred by section 33 of the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation Act, 1979 (Act No. 8 of 1980), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*a*) These rules may be called the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation Rules, 1984.

(*b*) These shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions.*—In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation Act, 1979 (Act No. 8 of 1980);

(*b*) "Collector" means the Collector of a District empowered in this behalf by the Government;

(*c*) "Defaulter" means a person who fails to repay the loan amount when due and includes a person who is responsible as surety for the repayment of such amount ;

(*d*) "Encumbrance" means a charge upon or claim against movable and immovable property arising out of a contract ; and

(*e*) all other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act, and the Fundamental Rules and the Supplementary Rules.

CHAPTER-I

3. *Other functions of the Corporation in addition to those mentioned in Section* 15 (2) *of the Act.*—The Corporation may discharge the following functions also:—

(*i*) reafforestation, reclamation of land, extraction of timber/resin, growing nurseries, manufacture of packing cases and any other activity as may be assigned to it by the Government ;

(*ii*) operation of passenger and/or goods transport on routes allotted by the Government ;

(*iii*) promotion of horticulture including processing and marketing ;

(*iv*) running of CSD (I) canteens and retail shops on terms and conditions mutually agreed upon with various Public Sector Undertakings within and out-side the State as approved by the Board ; and

(*v*) such other functions which the Corporation may consider necessary for the welfare and economic uplift of ex-servicemen.

CHAPTER-II

RECOVERY

4. *Procedure for recovering outstanding dues.*—(1) (*a*) *Periodicity and number of instalments.*—(*i*) The loan shall be remaid by the loanee on the terms as may be stipulated in the agreement.

(*ii*) The instalments of the principal amount of the loan are to be paid on or before the due date together with the interest due till the date of payment.

(*iii*) The loanee has the option to repay the loan at any time before the repayment falls due, or in lesser number of instalments than aggreed upon. The interest in such cases will be computed accordingly.

(*b*) *Demand Notice.*—The terms and conditions of loan including periodicity and number of instalments having already been agreed to by the loanee in the agreement, surety bond or other undertaking, the loanee has to make payment in time without waiting for any demand notice. However, the Corporation may as a matter of courtesy remind the loanee a few days before the due date of payment by issuing a simple demand notice.

(*c*) *Non-Payment of loan instalment on due date.*—In case the payment of loan instalment together with interest due thereon is not received by the stipulated date, a registered notice shall be served on the loanee to expedite the payment together with penal interest within the period specified in such notice.

(*d*) *Recovery proceedings for payment.*—In case the loanee fails to repay the loan instalments of principal and interest including penal interest even after issue of such registered notice at the address mentioned in the loan documents by the date(s) specified in such notice, the recovery proceedings for realising the entire amount as arrears of land revenue through the Collector of the District concerned will be initiated by the Corporation in accordance with the provisions of sections 20 and 21 of the Act. The amount of principal, interest due, penal interest and the cost of recovery will be realised as arrears of land revenue by the Collector of the District concerned and remitted to the Corporation.

(2) *Procedure for determining the amount due to the Corporation.*—(*a*) The Chairman-*cum*-Managing Director may make an application to the officer appointed by the Government under section 20 (2) of the Act for the purpose stating the particulars of the defaulter, amount due (principal amount, interest thereon and penal interest) for determining the same.

(*b*) On receipt of application the said officer will determine or cause to be determined, the amount due to the Corporation, after giving the defaulter an opportunity of being heard.

(*c*) The order made by the said officer shall be in writing and the same shall be conveyed to the Corporation.

(*d*) The order of the said officer under rule 4 (2) (*c*) shall be final.

(*e*) On receipt of the order made under rule 4 (2) (c) the Chairman-*cum*-Managing Director shall issue a certificate in form 'A' appended to these rules and send the case file to the District Collector concerned for recovering the amount as arrears of land revenue as per section 20 (*i*) of the Act.

CHAPTER-III

5. *The form and manner in which accounts shall be maintained and the Balance Sheet and Profit and Loss Account shall be prepared.*—(*i*) The Corporation shall prepare and maintain the accounts in the manner as specified in Annexure 'B', 'C' and 'D' appended to these rules.

CHAPTER-IV

LOANS, SUBSIDIES AND GRANTS

6. *Rate of interest.*—(*i*) The rate of interest per annum on the loan advanced by the Corporation shall be as under:—

(*a*) Loans upto Rs. 3,000/-	2 %
(*b*) Rs. 3001 to Rs. 10,000/-	4½ %

(*c*) Rs. 10,001 to Rs. 15,000/- 6%

(*d*) Rs. 15,001 to Rs. 30,000/- 7½%

(*e*) Above Rs. 30,000/- 10%:

Provided that the interest at the rate of 2% will be applicable for loanees whose annual income is upto Rs. 3,600/-, interest at the rate of 4.5% will be applicable to loanees whose annual income is upto Rs. 5,600/- and interest at the rate of 6% will be applicable to loanees whose annual income is upto Rs.7,600/-. Interest at the rate of 7% and 10% will be applicable in other cases:

Provided that the rate of interest chargeable shall not exceed the rate of interest chargeable on the loans advanced under the H.P. State Aid to Industries Act, 1968 (Act No. 2 of 1971). If this rate is lower than the rates mentioned above, the interest at the discretion of the Govt. on low er rate will be charged from prospective effect. The interest may be varied on the recommendations of the Board of Directors.

(*ii*) *Subsidy on the rate of interest.*—The Corporation may subsidise the rate of interest to bring it at par with the rates mentioned in rule 6 (1) above in cases where the loans have been obtained by the eligible persons from a bank or any other institution other than the Corporation.

(*iii*) *Procedure for claiming subsidy on rate of interest.*—(*a*) The applicant shall make an application to the Bank on the form appended as Annexure 'E' to these rules.

(*b*) The bank will place reimbursement claim between the actual rate of interest and the subsidized rate of interest on the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation, which will make the payment accordingly.

(*iv*) *Conditions for grant of interest subsidy.*—(*a*) The interest subsidy will be granted to the maximum extent of 2½% over and above the highest rate of interest mentioned in rule 6 (*i*) above.

(*b*) The interest subsidy shall not be given on loans for working capital.

(*c*) The interest subsidy shall be released by the Corporation to the concerned quarterly.

(*d*) The interest subsidy shall be granted for 75% of the total amount required for a scheme/project.

(*v*) *Conditions for with-holding/stopping the interest subsidy.*—The Corporation shall withhold /stop payment of interest subsidy on receipt of a report from the Bank or through its own sources that :—

(*a*) the loanee is a defaulter; or

(*b*) the loanee has violated any of the terms and conditions of the agreement.

(*vi*) *Powers of entry and inspection.*—The loanee shall afford full opportunities to the Vice-Chairman and/or the Secretary-*cum*-Chief Accounts Officer or any other Officer authorised in this behalf by the Chairman-*cum*-Managing Director to examine books of accounts, promises of the project/scheme, godowns and place where day-to-day working of the loanee is carried out.

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Form 'A'

ANNEXURE 'A'

Chapter II and Rule 4 (e)

Whereas an agreement was entered into between ..... Borrower (s) (hereinafter referred to as the first party) and the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation through its chairman-*cum*-Managing Director (here inafter referred to as second party) on the.....day of .....at Shimla/Hamirpur and the Chairman-*cum*-Managing Director had accordingly advanced Rs..... (Rupees.....only) to the first party for the purpose of.....as provided in Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation (Financial Assistance) Regulations, 1981.

Whereas the first party has made a default by not paying an amount of Rs..... (Rupees.....only) due to the Corporation OR .....(Designation of Officer), District.....has determined *vide* order No.....dated..... .....that asum of Rs.....(Rupees.....only) is due to the Corporation.

And whereas in exercise of the powers vested in me *vide* section 20 (1) of the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation Act, 1979, I hereby send the case file to the Collector,..... District for recovering the said amount as arrears of land revenue.

Signed this.....day of.....19.....at Hamirpur.

Chairman-cum-*Managing Director,*
H. P. Ex-Servicemen Corporation,
Hamirpur.

ANNEXURE 'B'

(*Under rule* 5)

HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION, SHIMLA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH

Previous Year	LIABILITIES	AMOUNT	TOTAL	Previous Year	ASSETS	AMOUNT/ TOTAL
	1. CAPITAL : Authorised, paid by Himachal Pradesh Government				1. FIXED ASSETS : (At cost loss depreciation as per Schedule 'A' annexed).	
	2. RESERVES AND FUNDS :				(*a*)	
	(*i*) *Ex-servicemen Fund :* Balance as per last year :				(*b*)	
	Add: Contribution by the Govt.					
	Add: Contribution by Corp.				2. INVESTMENTS : Explaining nature and mode of valuation	
	(*ii*) *Bad debts Fund :* Balance as per last year				3. CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES: *A. Current Assets* :	
	Add: Contribution out of net profit @10%				(*i*) Sundry debtors	
	Add: Contribution by the State Government				(*a*) Due from loanees	
	Add: Contribution out of net profit@ $7\frac{1}{2}$%				(*ii*) Secured against hypothecation of goods	
	(*iii*) *Profits :* As per last balance sheet				(*iii*) Secured against mortgage of land and property	
	(*iv*) Development rebate reserve				(*b*) Interest accrued thereon	
	(*v*) Other reserves				(*i*) Other assets	
	3. SECURED LOANS (Giving nature and valuation of security)				(*a*) Dead stock	
	4. UNSECURED LOANS				(*b*) Loose tools	
					(*c*) Stock-in-trade etc.	
					(*ii*) Cash and bank balance	
					(*a*) Cash in hand	
					(*b*) Balance with banks and postal orders etc.	
	5. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :				(*c*) Stamps in hand	
	(*a*) *Current Liabilities* Sundry creditors				*B. Loans and Advances:* Advances recoverable in cash or	

Expenses payable	kind or value to be received,
Security deposits	Staff
Deduction from staff	Advances, rates, taxes etc.
Other liabilities	Prepaid expenses
(*b*) *Provisions*	4. MISCELLANEOUS EXPENDITURES AND LOSSES:
Provisions for taxation	(*a*) Expenses pending for capitalisation.
Other provisions	(*b*) Any other items
	(*c*) Net Losses, if any—
Total Rs.........................	....

Note.—1. The Balance Sheet shall be signed by the Accounts Officer, Secretary, Chairman-*cum*-Managing Director.

2. The Corporation shall make additions to the Head, given above according to the convenience and need due to expansion of the business from time to time, as may be.

ANNEXURE 'C'

(*Under rule* 5)

THE HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION, HAMIRPUR

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED AS ON 31-3-1984

PREVIOUS YEAR	EXPENDITURE	AMOUNT	TOTAL	PREVIOUS YEAR	INCOME	AMOUNT	TOTAL
	To SALARIES AND ALLOWANCES:				By Interest received.		
	Staff				By Interest accrued on loans and deposits		
	Directors				By Income from Agricultural Farm		
	Contribution to				By Higher charges of Agricultural and Industrial Machinery/equipment		
	Leave Salary				By Gifts and grants and donations		
	Pension				By Gain on sale of assets		
	House Rent				By Miscellaneous income		
	Agriculture Farm				By Net loss carried over to Balance Sheet		
	To Rent, rates and taxes						
	To Water and Electricity						
	To Travelling and conveyance						
	Staff						
	Directors						
	Interest Paid						

PREVIOUS YEAR	EXPENDITURE	AMOUNT	TOTAL	PREVIOUS YEAR	INCOME	AMOUNT	TOTAL
	To Bank charges						
	To running and maintenance of vehicles						
	To miscellaneous store consumed						
	To Printing and Stationery						
	To postage, telephone and telegrams						
	To News papers and periodcals						
	To Advertisements						
	To Entertainment expenses						
	To staff welfare						
	To grant and subsidies						
	To Legal expenses						
	To Assets written off						
	To Miscellaneous expenses						
	To Loss on sale of assets						
	To Auditors remuneration						
	To Depreciation						
	To Provision For :						
	Income tax						
	Bad debts fund						
	Guarantee fund						
	Relief and common good fund.						
	Net profit carried of Balance Sheet						
	Total Rs.				Total Rs.		

ANNEXURE 'D'

(*Under rule* 5)

THE HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION, HAMIRPUR

SCHEDULE 'A' OF FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH

Sl. No.	Sub-head	Orginal cost as on	Additions during the year	Sale/Net transfer/ written off during the year	Depreciation upto.....	Depreciation during the year	Total depreciation	Written down value as on previous year
1.	Land							
2.	Buildings							
3.	Furniture and Fixtures							
4.	Office Equipment							
5.	Vehicles							
6.	Library Books							
7.	Pumping Sets, Diesel Engines and Tube Wells							
8.	Tractors and Implements							
9.	Others							
	Total							
	Previous year							

ANNEXURE 'E'

[rule 6 (iii)]

APPLICATION FORM FOR SUBSIDY ON RATE OF INTEREST (THROUGH THE BANK)

(Period of claim.....)

1. Name and address of the unit
2. Name of Bank from which the unit has taken loan
3. Capital Investment:
   (*a*) Land
   (*b*) Building
   (*c*) Machinery
4. Means of Financing:
   (*a*) Own investments
   (*b*) Loans from Financial Institutions/Government
   (*c*) Other sources
5. Amount of loan sanctioned
6. Date of disbursement
7. Rate of interest chargeable
8. Total amount of interest paid
9. Amount of subsidy admissible

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing in this behalf has been concealed.

Signature of the Applicant.

CERTIFICATE OF THE BANK/FINANCIAL INSTITUTION

We.....(Name of Bank)..... certify that we have seen accounts of M/s..... and confirm the figures indicated by the applicant. The applicant is entitled to Rs.....as subsidy on rate of interest so as to bring the rate of interest to.....per annum. It is further certified that in the above calculations, working capital has not been taken into consideration.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।